लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 916

23 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

तकनीकी वस्त्र

916. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री मनोज तिवारी:
श्री रवि किशन:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री सुधीर गुप्ता:
क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न श्रेणी की कौन-कौन से तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादित और निर्यातित/आयातित तकनीकी वस्त्रों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति/योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी नीति/योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियां क्या हैं;

(ड) क्या सरकार हस्तकरघा उत्पादों की सीधी खरीद के लिए हस्तकरघा संकुलों को वस्त्र उद्योग के साथ जोड़ना चाहती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा ऐसे वस्त्रों के आयात को कम करने के लिए तथा इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): तकनीकी वस्त्र 12 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात एग्रोटेक, मेडीटेक, बिल्डटेक, मोबाइलटेक, क्लॉथटेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और स्पोर्टेक में विभाजित है। जनवरी, 2019 में स्टेकहोल्डरों के लाभ को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत नामावली की सामन्जस्यपूर्ण प्रणाली (एचएसएन) कोड में पृथक शीर्ष के तहत तकनीकी वस्त्रों के रूप में 207 मदों को अधिसूचित किया है।

(ख): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उत्पादित निर्यातित/आयातित तकनीकी वस्त्रों का प्रतिशत अनुबंध-'क' में दिया गया है।

(ग) और (घ): देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने 1480 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए (2020-21 से 2023-24) तक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के निर्माण के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया है। एनटीटीएम (i) कार्बन, नॉयलॉन-66, ग्लास अरामिड और अन्य उच्च

प्रौद्योगिकी पॉलीमर से विशेष स्वदेशी विकास तथा अनुसंधान और नवीनीकरण पर फोकस करना, विभिन्न एप्लीकेशन क्षेत्रों में जियो टेक्सटाइल्स, एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स और तकनीकी वस्त्रों के अन्य खंडों में अनुप्रयोग को बढ़ाना। (ii) प्रयोक्ता के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी वस्त्र उत्पादों को प्रोत्साहित करना (iii) उच्चतम व्यापार उत्पादों पर ध्यान केंद्रित के माध्यम से 2024 तक तकनीकी वस्त्रों में भारत का निर्यात बढ़ाना (iv) विशेषीकृत उच्च शिक्षा और तकनीकी जनशक्ति के कौशल विकास के माध्यम से देश में मजबूत मानव संसाधन का सृजन करना है।

इसके अतिरिक्त, देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित मुख्य पहलें भी की हैं:-

(i) अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों के लाभ लेने के उद्देश्य से वर्तमान में बानवे (92) एप्लीकेशन क्षेत्रों को सभी दस केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अनिवार्य प्रयोग के लिए चिन्हित किया गया है। अब तक, अनिवार्य प्रयोग के लिए 68 (अड़सठ) अनुप्रयोग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 377 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए मानक विकसित किए हैं।

(iii) उद्योग के अनुरोध पर, वस्त्र मंत्रालय ने अपने कौशल विकास कार्यक्रम (समर्थ नामक) में तकनीकी वस्त्र के लिए छः (6) अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को शामिल किया है।

(iv) मंत्रालय ने दिनांक 23-10-2019 को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह देते हुए) आदेश जारी किया है, जिसमें सरकारी खरीद के लिए 10 क्षेत्रों में तकनीकी वस्त्रों की मदों के लिए न्यूनतम स्थानीय खरीद सामग्री को निर्धारित किया गया है।

(ङ): पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र का विकास और बढ़ावा देने के लिए, वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्री, करघों और उपस्करों की खरीद, डिजाइन नवप्रवर्तन, उत्पाद विविधिकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, लाइटिंग इकाइयां, घरेलू और विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों का विपणन और रियायती दरों पर ऋण के लिए पात्र हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं:-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
   (i) ब्लॉक स्तरीय कलस्टर
   (ii) बुनकर मुद्रा योजना
   (iii) हथकरघा विपणन सहायता

2. व्यापक हथकरघा कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस)
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

(च): देश में तकनीकी वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और निर्यात वृद्धि-आत्मनिर्भर भारत के लिए 10 मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अनुमोदित किया है। तकनीकी उत्पादों: इन उत्पादों हेतु पांच वर्ष की अवधि के लिए 10,683 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10 मुख्य क्षेत्रों में एमएमएफ क्षेत्र और तकनीकी वस्त्रों को शामिल किया गया है।

अनुबंध-'क'

देश में तकनीकी वस्त्र (क्षेत्र-वार) का व्यापक सांकेतिक बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	प्रतिशत
ग्रोटेक	1%
मेडीटेक	11%
मोबिलटेक	9%
पैकटेक	41%
स्पोर्टेक	5%
बिल्डटेक	2%
क्लॉथटेक	6%
होमटेक	11%
प्रोटेक	1%
जियोटेक	1%
ओकोटेक	1%
इंडुटेक	11%

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यातित/आयातित तकनीकी वस्त्रों का ब्यौरा:-

(मूल्य लाख रुपए में)

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2018-19**		**2019-2020**		**2020-2021**		**2020-2021 (अप्रैल)**	
		निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1	एग्रोटेक	44605	6441	45443	10468	52188	17526	3561	2058
2	जियोटेक	6116	31	6336	85	7151	171	644	14
3	क्लॉथटेक	23473	10899	32341	12184	43363	9286	3507	346
4	होमटेक	79848	64707	82798	118571	92372	82896	10396	6489
5	मेडीटेक	106990	103852	111804	77958	106891	104815	9299	9817
6	पैकटेक	514502	1744	476305	1665	523583	2892	53592	250
7	प्रोटेक	33334	15587	32623	12690	29137	15407	2047	913
8	स्पोर्टेक	27293	7389	29541	9560	29107	7516	1818	1038
9	इंडुटेक	562510	1322802	602124	1195026	728561	1013239	72628	108348
कुल		**1398671**	**1533452**	**1419315**	**1438207**	**1612353**	**1253748**	**157492**	**129273**

{ स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता)

***